

## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 85/2021 बउनवानी राजकुमार नावरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति०जिला कलेक्टर,स०मा० पुत्र श्री रमेश चन्द नावरिया, ग्राम व पोस्ट व तहसील मलारना डूंगर

GCMS No-2021/272

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10.11.2021	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को प्रार्थी की जमीन जिसके पुराने खाता संख्या 866 एवं नया खाता संख्या 507 एवं नामा० संख्या 5305 दिनांक 20.9.2019 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन को प्रार्थी के सगे संबंधियों एवं कुटुम्ब कबीलो के खाते लगाने का आदेश राजस्व विभाग द्वारा आपके पास हो तो आदेश की प्रमाणित सूचना और राजस्व विभाग द्वारा आपके पास आदेश नहीं हो तो आदेश नहीं होने की सूचना</li> <li>2. उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की प्रार्थी के नामा० संख्या 5305 दि० 20.9.19 के द्वारा प्रार्थी के नाम खातेदारी की जमीन में से प्रार्थी के सगे संबंधी के एव कुटुम्ब कबीलो के खाते लगाने का अधिकार है या नहीं जिसकी सूचना</li> <li>3. प्रार्थी की जमीन के नामा०संख्या 5305 दिनांक 20.9.2021 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन को प्रार्थी के सगे संबंधियो व कुटुम्ब कबीलो के खाते लगाने का आपके पास आदेश है तो उस आदेश ओर अधिकार की प्रमाणित प्रति और आदेश अधिकार नहीं हो तो आदेश अधिकार नहीं होने की सूचना और प्रार्थी की खातेदारी जमीन को दूसरो के खाते लगाने का अधिकार उपजिला कलेक्टर को है या नहीं की सूचना तथा तहसीलदार म०डूंगर को अधिकार है या नहीं की सूचना।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.2(163)/सूकाअ/2021/2010 दिनांक 8.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 में चाही गयी सूचना का संबंध में उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 1504 दिनांक 27.8.2021 से उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को अन्तरित किया गया। जिसके कम में उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के पत्रांक 2589 दिनांक 23.9.2021 से अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से सूचित किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधि.2005 के प्रावधानो के तहत सूचना क्रियेट करने का प्रावधान नहीं है और ना ही प्रश्नोत्तरी का जवाब दिये जाने का नियम है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके संबंध में उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर द्वारा जरिये पत्रांक 2589 दिनांक 23.9.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। चूँकि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>